अमेरिका में डिटेन हुआ लॉरेंस गैंग का हैरी बॉक्सर, भारत लाने की तैयारी शुरू

राजस्थान एजीटीएफ के प्रयासों से अमेरिकी एजेंसी ''आईसीई'' ने हिरासत में लिया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। विदेश में बैठकर भारत में रंगदारी, हत्या और फायरिंग की वारदातें संचालित करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य हरिचंद जाट उर्फ हैरी बॉक्सर को अमेरिका में हिरासत में लिया गया है।

राजस्थान पुलिस की एटीएस और एजीटीएफ के लगातार प्रयासों तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से समन्वय के बाद अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी (आईसीई) ने उसे डिटेन किया। अब उसे भारत लाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एटीएस/एजीटीएफ/एएनटीएफ) दिनेश एमएन ने बताया कि हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के लिए हथियारों की आपूर्ति तथा आपराधिक गतिविधियों का संचालन करता था।

उसके खिलाफ राजस्थान में 22 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, संगठित अपराध, चोरी और मारपीट जैसे मामले शामिल हैं।

वह राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में भी रंगदारी की धमकियों और फायरिंग की वारदातों में सक्रिय रहा है।

रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की ली थी जिम्मेदारी

हैरी बॉक्सर (40) कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बासदयाल का निवासी है। वह अप्रैल 2023 में अपने पासपोर्ट के जरिए भारत से फरार हो गया था। विदेश में रहते हुए उसने बॉलीवुड निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ली थी। गैंग के सदस्य इंटरनेट आधारित कॉल और वीपीएन के जरिए कारोबारियों को धमकियां देकर रंगदारी वसूलते थे। रकम नहीं देने पर गोलीबारी करवाते थे।

दुबई से गुयाना और डंकी रूट से पहुंचा अमेरिका

जांच में सामने आया कि भारत से फरार होने के बाद हैरी बॉक्सर दुबई, डोमिनिकन रिपब्लिक और गुयाना होते हुए मैक्सिको बॉर्डर के रास्ते डंकी रूट से अमेरिका पहुंचा। उसने कैलिफोर्निया में ठिकाना बना लिया था। फरवरी 2025 में उसकी लोकेशन गुयाना में मिलने पर अस्थायी गिरफ्तारी का अनुरोध भेजा गया, लेकिन वह वहां से भी भागकर अमेरिका पहुंच गया।

> ■ रंगदारी और फायरिंग के 22 से अधिक मामलों में वांछित; सीबीआई के जरिए 5 देशों को भेजे 14 संदर्भ, जारी कराया रेड कॉर्नर नोटिस

पांच देशों को भेजे 14 संदर्भ, 9 बार अमेरिका को सूचनाएं

उप महानिरीक्षक योगेश यादव के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा के नेतृत्व में एजीटीएफ टीम ने उसकी गतिविधियों की जानकारी जुटाई। पुलिस ने सीबीआई और इंटरपोल के माध्यम से करीब पांच देशों को 14 संदर्भ भेजे। उसके खिलाफ 14 नवंबर 2024 को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया गया था।

दिसंबर 2024 से जुलाई 2026 के बीच अमेरिका को नौ इंटरपोल नोटिस भेजे गए। इसके अलावा 21 फरवरी 2025 को अस्थायी गिरफ्तारी अनुरोध, 19 अगस्त 2026 को अद्यतन दस्तावेज और 29 अक्टूबर 2026 को उसके अंगुलियों के निशान भी उपलब्ध करवाए गए। तकनीकी निगरानी के जरिए उसके विदेशी मोबाइल नंबरों और सोशल मीडिया गतिविधियों का विश्लेषण किया गया। लगातार सूचनाएं साझा करने के बाद अमेरिकी एजेंसी ने उसे हिरासत में लिया।

इन अधिकारियों की रही अहम भूमिका

कार्रवाई में उप महानिरीक्षक योगेश यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा, उप अधीक्षक रविन्द्र प्रताप तथा पुलिस निरीक्षक सुनील जांगिड़, मनीष शर्मा और रामविलास विश्नोई की ऑपरेशनल टीम की अहम भूमिका रही। वहीं इंटरपोल शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरोत्तम लाल वर्मा के नेतृत्व में तत्कालीन पुलिस निरीक्षक कमलपुरी, पुलिस निरीक्षक उम्मेद सिंह, सहायक उपनिरीक्षक रमेश कुमार, संतोष टेलर तथा कांस्टेबल महावीर प्रसाद, सुभाष, श्रवण, सुरेन्द्र और महिला कांस्टेबल सावित्री ने अंतरराष्ट्रीय समन्वय और दस्तावेजी कार्रवाई में योगदान दिया। तकनीकी विश्लेषण में सहायक उपनिरीक्षक मोहन भूरिया और कांस्टेबल जगसीर सिंह की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट की कार्यशैली पर सवाल उठाए

पीठासीन अधिकारी व रीडर्स को ट्रेनिंग की जरूरत बताई

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई और निस्तारण की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पीठासीन अधिकारियों और रीडर्स को न्यायिक कार्यवाही के बेहतर प्रबंधन के लिए उचित ट्रेनिंग देने की जरूरत है। इसके साथ ही अदालत ने आदेश की कॉपी रजिस्ट्रार जनरल के जरिए हाईकोर्ट के सीजे के समक्ष रखने के लिए कहा है। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश रामस्वरूप की चौथी जमानत याचिका को मंजूर करते हुए दिया।

अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को न्याय की प्रतीक्षा में अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की ऑर्डरशीट रीडर द्वारा लिखे जाने और अंत में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करने की स्थिति सामने आई है।

> ■ अदालत ने कहा कि ''किसी व्यक्ति को न्याय की प्रतीक्षा में अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता।''

ऐसे में पीठासीन अधिकारियों और रीडर्स को उचित प्रशिक्षण देने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करना चाहिए। अदालत ने जब 19 सितंबर से 28 अक्टूबर 2026 तक की एसीजेएम की ऑर्डरशीट को देखा तो पाया कि उसमें कोई प्रगति नहीं हुई और न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाई जाती रही। यह भी सामने आया कि आर्डरशीट रीडर लिखते हैं और अंत में पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं।

जमानत याचिका में कहा कि आरोपी धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और षड्यंत्र के मामले में 12 मई 2025 से जेल में है। हाईकोर्ट के जल्द ट्रायल निर्देश के बाद भी कोर्ट में अभी तक केवल एक ही गवाह के बयान दर्ज हुए हैं।

भाजपा मुख्यालय में धूमधाम से मनाया दीपोत्सव



भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर छोटी दिवाली के उपलक्ष्य में दीप जलाए।

जयपुर (कासं)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में छोटी दीपावली के अवसर पर शनिवार को दीपोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भगवान गणेश का विधिवत पूजन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्ज्वलित किए और भव्य आतिशबाजी के साथ उत्सव मनाया।

इस अवसर पर संगठन महामंत्री अजेय कुमार, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, भूपेंद्र सैनी, प्रदेश मंत्री सीताराम पोसवाल, अपूर्वा सिंह, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जयपुर महापौर सुनील कोठारी, विधायक गोपाल शर्मा, कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक, सह कार्यालय प्रभारी भवानी शंकर शर्मा, मीडिया प्रभारी प्रमोद वशिष्ठ और जिलाध्यक्ष अमित गोयल सहित प्रदेश पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

> ■ प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने पदाधिकारियों के साथ गणेश पूजन किया, फिर कार्यकर्ताओं के साथ आतिशबाजी की

मदन राठौड़ ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपावली असत्य पर सत्य की विजय और अज्ञान के अंधकार से ज्ञान एवं प्रकाश की ओर बढ़ने का पर्व है। सभी को राष्ट्रहित सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा ने निकाय चुनावों में ऐतिहासिक विजय हासिल की है। उन्होंने आगामी पंचायत चुनावों में भी भाजपा की प्रचंड जीत का विश्वास जताया।

गोविंददेवजी मंदिर में आज रहेगी जन्माष्टमी जैसी दर्शन व्यवस्था

जयपुर। दीपावली पर 8 नवंबर को गोविंददेवजी मंदिर में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए विशेष दर्शन व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रशासन के अनुसार, श्रद्धालुओं को केवल मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि जय निवास बाग की ओर से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं का निकास जय निवास बाग की ओर से होगा। दीपावली पर मंदिर में जन्माष्टमी की तर्ज पर मंगला से शयन तक सातों झांकियों के दर्शन होंगे। कंवर नगर और ब्रह्मपुरी की ओर से आने वाले श्रद्धालु जनता मार्केट होते हुए मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच सकेंगे। दर्शन के बाद निकास मंदिर के पीछे स्थित श्री चिंताहरण हनुमानजी मंदिर की ओर से होगा। यह जानकारी मंदिर के मुख्य सेवादार मानस गोस्वामी ने दी है।

मेटरनिटी लीव में नव प्रसूता का तबादला, हाईकोर्ट ने रोक लगाई

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मैटरनिटी लीव पर चल रही व्याख्याता का डांग एरिया में तबादला करने वाले आदेश की क्रियान्विति पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने विभाग को याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन को पांच सप्ताह में तय करने के लिए कहा है। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश आरती कुमारी की याचिका पर दिए।

अदालत ने कहा कि एक आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य सरकार को नव प्रसूता और उसके बच्चे के बीच के पवित्र बंधन की रक्षा करनी चाहिए। सरकार को मशीनी अंदाज में तबादला कर इस बंधन को नहीं तोड़ना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि नव प्रसूता कर्मचारियों के लिए उचित तबादला नीति होनी चाहिए। ऐसी नीति के अभाव में मां और शिशु दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

> ■ अदालत ने कहा कि ''एक आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य सरकार को नव प्रसूता और उसके बच्चे के बीच के पवित्र बंधन की रक्षा करनी चाहिए, मशीनी अंदाज में तबादला कर इस बंधन को नहीं तोड़ना चाहिए।''

अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि चार माह की नव प्रसूता का किसी दूरस्थ स्थान पर तबादला करना चार महीने के बच्चे को उसकी मां से जबरन अलग करने जैसा है। इससे न केवल उनके मूल अधिकारों का हनन होगा, बल्कि शिशु को मानसिक आघात, असुरक्षा और कुपोषण का खतरा भी उत्पन्न होगा। याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता मैटरनिटी लीव पर है। उसका नवजात शिशु केवल चार महीने का है और पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर है। इसके बावजूद विभाग ने उसका तबादला करौली जिले में दूरस्थ डांग एरिया में कर दिया। ऐसे में तबादला आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तबादला आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश प्रतिवेदन को पांच सप्ताह में तय करने को कहा है।

51 किलो दूध और गंगाजल से किया खोले के हनुमानजी का अभिषेक

जयपुर। श्री खोले के हनुमान मंदिर में शनिवार को रूप चतुर्दशी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्री हनुमान जी महाराज का गंगाजल से स्नान कराकर 51 किलो दूध से अभिषेक किया गया।

सिन्दूर का चौला चढ़ाकर चांदी की पोशाक धारण कराई गई। फूल बंगले की झांकी सजाई गई। रात्रि को नए अनाज बाजरा, मूंग, चौला एवं छप्पन भोग लगाकर महाआरती की गई। श्री नरवर आश्रम सेवा समिति के महामंत्री बृजमोहन शर्मा ने बताया कि दीपावली को पूरे मंदिर परिसर में रंग-बिरंगी लाईटों, रोशनी एवं 5100 मिट्टी के दीपकों से मंदिर परिसर को सजाया जाएगा। दीपावली के दिन शाम को लक्ष्मी जी का पूजन कर आतिशबाजी की जाएगी।

रोशनी में निखरी छोटी काशी, जयपुर हुआ राममय



दीपावली पर इस बार गुलाबी नगरी का नजारा राममय नजर आया। बाजारों से लेकर ऐतिहासिक इमारतों तक आकर्षक विद्युत सजावट और रंग-बिरंगी रोशनी ने पूरे शहर को रोशन कर दिया। सड़कों पर सजे दीपोत्सवी नजारे और रामदरबार की झांकियों ने उत्सव की छटा बिखेरी। जगमगाती रोशनी और भव्य सजावट को निहारने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी बाजारो में उमड़े। फोटो-राष्ट्रदूत

नवंबर में 2400 पदों पर तीन भर्तियों की संभावना

जयपुर (कासं)। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नवंबर में करीब 2,400 पदों पर तीन भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करने की तैयारी कर रहा है। इनमें फिजिकल टीचर इंस्ट्रक्टर (पीटीआई), जूनियर इंजीनियर (जेईएन) और टैक्स असिस्टेंट के पद शामिल हैं।

कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार तीनों भर्तियों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले करीब 900 पदों पर जूनियर इंजीनियर भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावना है। बोर्ड का प्रयास है कि दिवाली के बाद 15 नवंबर तक इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाए। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। पीटीआई के 1200 और टैक्स असिस्टेंट के 300 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति आचार संहिता हटने के बाद जारी की जाएगी। इन पदों के लिए अलग-अलग शैक्षिणक एवं तकनीकी योग्यताएं निर्धारित होंगी। तीनों भर्तियों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रहेगी। आरक्षित वर्गों और अन्य पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के बाद परिणाम और मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। विस्तृत पात्रता और योग्यता की जानकारी भर्ती विज्ञप्ति में जारी होगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पीटीआई भर्ती में 1200 पद, जूनियर इंजीनियर में करीब 900 पद, टैक्स असिस्टेंट के 300 पदों समेत कुल 2400 पद होंगे।







तथ्य छिपाकर याचिका दायर करने वाले पर 5 लाख रु. का हर्जाना

खुद की जमीन नहीं होने के बावजूद विवादित निर्माण से प्रभावित बताकर दाखिल की थी याचिका

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने खुद की जमीन नहीं होने के बावजूद विवादित निर्माण से प्रभावित बताकर याचिका दायर करने और महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने वाले याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट ने पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है।

अदालत ने हर्जाना राशि में से तीन लाख रुपए राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर बेंच के अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ खाते में और दो लाख रुपए राजस्थान हाईकोर्ट मुंशी संघ, जयपुर बेंच के खाते में जमा कराने के लिए कहा है। जस्टिस रवि चिरानिया ने यह आदेश रामस्वरूप की याचिका को खारिज करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि जो व्यक्ति तथ्य छिपाकर और भ्रामक जानकारी देकर अदालत की शरण में आता है, वह किसी तरह की राहत का हकदार नहीं है।

याचिका में कहा कि ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर की जमीन पर हाईवे के प्लांटेशन कॉरिडोर में बिना मंजूरी के व्यावसायिक निर्माण कार्य चल रहा है। याचिकाकर्ता ने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं याचिकाकर्ता का यह दावा गलत निकला कि उसकी जमीन विवादित निर्माण वाली जमीन से सटी हुई है और वह उससे प्रभावित है।

जेडीए ने 2022 में ही संबंधित क्षेत्र में व्यावसायिक पट्टे जारी कर दिए थे, जिन्हें प्रार्थी ने कभी चुनौती नहीं दी। इस पर अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी जमीन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए और शपथ पत्र में खुद को विवादित निर्माण से प्रभावित बताया है। जबकि मौके पर उसकी कोई जमीन नहीं थी। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई।

अधिशाषी अभियंता को एपीओ करने वाले आदेश पर रोक

जयपुर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने जल संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियंता को एपीओ करने वाले 29 अक्टूबर के आदेश की क्रियांविति पर अंतरिम रोक लगा दी है। अधिकरण ने मामले में जल संसाधन विभाग के एसीएस, सचिव व मुख्य अभियंता से 18 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। अधिकरण की न्यायिक सदस्य पूनम दरगन व सदस्य प्रकाश चन्द्र शर्मा की बेंच ने यह आदेश चंबल परियोजना खंड कोटा में अधिशाषी अभियंता के तौर पर कार्यरत अवधेश कुमार मीना की अपील पर दिए। अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि अपीलार्थी का तबादला 10 जुलाई को कोटा से किया गया था। इस आदेश पर अधिकरण ने 11 अगस्त को रोक लगा दी थी। वहीं विभाग ने गत 29 अक्टूबर को प्रतिबंधित अवधि में ही अपीलार्थी को एपीओ कर मुख्यालय कर दिया।